न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर०ए०एस०)

जीसीएमएस न. 2024/89
मुकदमा नम्बर 38/2024

दर्ज दिनांक– 15.03.2024

1. काशीराम पुत्र स्व. सरदार सिह
2. दलीप पुत्र स्व. सरदार सिह
3. बनारसी धर्मपत्नी स्व. सरदार सिंह
4. योगेश कुमार दत्तक पुत्र भोपाला समस्त जाति जाट निवासीगण पनीयों की ढाणी भगेरा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री विजय कुमार शर्मा एड.
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 26.07.2024**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम पनियां की ढाणी पटवार हल्का निवाई के भूमि खसरा नं. 82 रकबा 3.1340 में स रकबा 0.33 है0 कम किया जाकर रास्ते का खसरा नं. 255/82 के बाद उत्तर पश्चिम कोने पर शेष बची भूमि का अलग खसरा नं. डाला जाकर राजस्व रिकार्ड व नक्शे में तरमीम किया जावे व उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में तरमीम किया जावे तथा नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया जावे।

अनावेदक तहसीलदार नवलगढ़ की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट कमांक 1679 दिनांक 22/05/2024 पेश हुई। जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने प्रा. पत्र में चाहा गया संशोधन किया जाना उचित है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। तहसीलदार नवलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार करता है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ ग्राम पनियां की ढाणी पटवार हल्का निवाई के भूमि खसरा नं. 82 रकबा 3.1340 में से रकबा 0.33 है0 कम किया जाकर रास्ते का खसरा नं. 255/82 के बाद उत्तर पश्चिम कोने पर शेष बची भूमि का अलग खसरा नं. डाला जाकर राजस्व रिकार्ड व नक्शे में तरमीम किया जावे व उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में तरमीम व नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट कमांक 1679 दिनांक 22/05/2024 के अनुसार रिकार्ड दुरूस्त कर दिया जावे। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 26.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

Scanned with CamScanner